रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 सितम्बर, 1987/23 भाद्रपद, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 3 जुलाई, 1987

संख्या स्वास्थ्य-क(3)-27/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग में मकैनिक (वर्ग-तीन अराजपत्रित) के पद के लिए, इस अधिसूचना के संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग मकैनिक (वर्ग-तीन अराजपत्रित) पद भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1987 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति--मकैनिक के पदों की संख्या वर्गीकरण, वेतनमान अर्हताएं और भर्ती की पद्धति ऐसी होगी जैस उपाबन्ध "अ" में विनिर्दिष्ट है।

आदेश द्वारा,
अरविन्द कौल,
आयुक्त एवं सचिव।

उपाबन्ध "अ"

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग, हिमाचल प्रदेश में मकैनिक के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम	मकैनिक।
2. पदों की संख्या	तीन।
3. वर्गीकरण	वर्ग-तीन।
4. वेतनमान	रु० 400-10-450/15-525/15-600
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	18 से 32 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकवयस्क हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत

	...क सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों में ...बाद में नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर ... गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । टिप्पणी: 1—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा कि गणना, यथा स्थिति उस वर्ष के प्रथम दिन मे की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किय जाते है । टिप्पणी: 2—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्युनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	अनिवार्य: (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आठवीं पास । (2) आई0 टी0 आई0 से जनरल मकैनिक ट्रेड में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स या इसके समतुल्य । (3) मकैनिक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव । वान्छनीय अर्हताय: (1) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु: } शैक्षिक अर्हतायें: } नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष जिनका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता :	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा ।	लागू नहीं । टिप्पणी–1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ

सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी :—

(क) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ट व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवा काल (31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किया जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएं:

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षताओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी: ।

परन्तु स्थायीकरण के परिणाम स्वरूप, तदर्थ सेवा को गणना में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी ।

(ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ।

टिप्पणी 2.— जब कभी नियम 2, के अधीन पदों में बढ़ौतरी या कमी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनीरीक्षित किए जाएंगे

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए । (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो, 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान बर्मा श्री लंका पूर्वी अफ्रीका के देशों में या कीनिया युगांडा युनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तन्गानिका और जंजीबार (जांबिया मालवा, जैयर और इथोपिया से भारत में स्थायी निवासी के आशय से प्रवास किया है: परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होगें जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेग, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही, दिया जाएगा ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निधारित किया जाएगा ।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समत-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।